

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

(२) यह १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा २ का
संशोधन.

“(च) “व्यक्ति” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में लगा हुआ है और उसके अन्तर्गत इस प्रकार किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन में लगा हुआ कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, कम्पनी, निगम या कोई अन्य निगमित निकाय, कोई सोसाइटी, क्लब या सन्था है किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वेतन या मजदूरी का उपार्जन आकस्मिक आधार पर करता है, तथापि किसी फर्म, कम्पनी, निगम या अन्य निगमित निकाय, किसी सोसाइटी, क्लब या सन्था की प्रत्येक शाखा व्यक्ति समझी जाएगी;”.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

अनुसूची का
संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (२) में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(ख) चिकित्सा व्यवसायी जिनके अन्तर्गत चिकित्सा परामर्शी, दंत चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट, पथोलोजिस्ट और पैरामेडिकल स्वरूप की ऐसी ही अन्य वृत्तियों या आजीविका में लगे हुए व्यक्ति सम्मिलित हैं;”;

(दो) अनुक्रमांक ४ के सामने,—

(क) मद (३) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(३) संपदा अभिकर्ता और ब्रोकर:

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है

कुछ नहीं

(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है.

२,५०० रुपए”;

(ख) मद (९) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(९) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथापरिभाषित निवासयुक्त होटलों के नियोजक, जिनमें—

(क) दस बिस्तर से कम हैं १,००० रुपए

(ख) दस बिस्तर या उससे अधिक हैं २,५०० रुपए”;

(ग) मद (१४) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१४) वीडियो पार्लरों या वीडियो लाइब्रेरियों के या दोनों के स्वामी और जहां कोई वीडियो पार्लर या वीडियो लाइब्रेरी या दोनों पट्टे पर दिए हों, वहां उसका पट्टेदार या ब्यूटी पार्लरों के स्वामी, केबल आपरेटर, फिल्म वितरक या ऐसे व्यक्ति जो विवाह हाल का स्वामित्व रखते हों / विवाह हाल चला रहे हों:

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है. १,००० रुपए

(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है. २,५०० रुपए”;

(घ) मद (१५) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१५) मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत साहूकार;

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है. १,००० रुपए

(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है. २,५०० रुपए”;

(तीन) अनुक्रमांक ५ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“५. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथापरिभाषित स्थापनाओं के नियोजक, उन नियोजकों को छोड़कर जो इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं:—

(क) दस से अधिक कर्मचारी नहीं हैं १,००० रुपए

(ख) दस से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं २,५०० रुपए”;

(चार) अनुक्रमांक ७ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“७. कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) में यथापरिभाषित कारखानों के अधिष्ठाता, किन्तु उन्हें छोड़कर जो प्रविष्टि ८ के अंतर्गत आते हैं:—

(क) जहां दस से अनधिक कर्मकार काम करते हैं. १,००० रुपए

(ख) जहां दस से अधिक कर्मकार काम करते हैं. २,५०० रुपए”;

(पांच) अनुक्रमांक ९ के सामने मद (ख) और (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(ख) (एक)	चार पहिए वाली एक टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	कुछ नहीं
(दो)	चार पहिए वाली दो या दो से अधिक किन्तु पांच से कम टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,००० रुपए
(तीन)	चार पहिए वाली पांच या पांच से अधिक टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,५०० रुपए
(ग) (एक)	एक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में	१,००० रुपए
(दो)	दो या दो से अधिक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में	२,५०० रुपए”;

(छह) अनुक्रमांक ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“९ख. (क)	कोचिंग संस्थान, संशिक्षकीय संस्थाएं या प्रशिक्षण संस्थाएं चला रहा व्यक्ति (केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा धारित से भिन्न).	२,५०० रुपए
(ख)	संपत्ति विकासकर्ता	२,५०० रुपए
(ग)	नर्सिंग होम, अस्पताल, पेट्रोलोजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, एक्स-रे क्लीनिक और मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा व्यक्ति (राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे से भिन्न).	२,५०० रुपए
(घ)	ट्रेवल और टूर एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी चला रहा व्यक्ति	२,५०० रुपए
(ङ)	कुरिअर सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस उपलब्ध करवा रहा व्यक्ति	२,५०० रुपए
(च)	वे ब्रिज आपरेटर्स	२,५०० रुपए
(छ)	चलचित्र उद्योग में नियोजित व्यक्ति अर्थात् निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, (कनिष्ठ अभिनेता से भिन्न), गायक, संपादक, रिकार्डिस्ट और कैमरामैन.	२,५०० रुपए

९.ग (क)	इंटीरियर डेकोरेटर;
(ख)	ड्रायक्लीनर और इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने वाला, इंटरनेट केफे, इन्फॉर्मेशन कियोस्क चला रहा व्यक्ति;

(ग) जिम और फिटनेस सेंटर चला रहा व्यक्ति;

उपरोक्त समस्त तीनों श्रेणियों के लिए

(एक) किसी ऐसे स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है. कुछ नहीं.

(दो) किसी ऐसे स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है. २,५०० रुपए”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वृत्ति कर के दायरे को विस्तृत करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) में आवश्यक संशोधन किए जाना हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : १० दिसम्बर, २०१५.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित;”

भगवानदेव ईसरानी.

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

~~मध्यप्रदेश विधेयक~~

उपाबंध

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) से उद्धरण

* * * *

धारा २ (च) व्यक्ति से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में किसी वृत्ति, व्यापार, अजीविका या नियोजन में लगा हुआ है और उसके अंतर्गत इस प्रकार किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन में लगा हुआ कोई हिन्दु अविभक्त कुटुंब, फर्म, कंपनी, निगम या कोई अन्य निगमित निकाय, कोई सोसाइटी, क्लब या संस्था है किन्तु उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मजदूरी का उपार्जन आकस्मिक आधार पर करता है.

* * * *

अनुसूची

.....

३. (ख) चिकित्सा व्यवसायी, जिनके अंतर्गत चिकित्सा परामर्शी और दंत चिकित्सक हैं.

(१), (२) * * *

४. (३) संपदा अभिकर्ता और ब्रोकर:—

(क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है	कुछ नहीं
(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक किन्तु १,००,००० से कम हैं	१,००० रुपये
(ग) उस स्थान में जहां जनसंख्या १,००,००० और उससे अधिक किन्तु ३,००,००० से कम हैं	२,००० रुपये
(घ) उस स्थान में जहां जनसंख्या ३,००,००० और उससे अधिक हैं	२,५०० रुपये
(४) से (८) * * *	

(९) (क) दस बिस्तर से कम है	कुछ नहीं
(ख) दस बिस्तर या उससे अधिक किन्तु पच्चीस बिस्तर के कम हैं	१,००० रुपये
(ग) पच्चीस बिस्तर या उससे अधिक किन्तु पचास बिस्तर से अधिक नहीं.	२,००० रुपये
(घ) पचास बिस्तर से अधिक है	२,५०० रुपये

(१०) से (१३)

(१४) (क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है	कुछ नहीं
(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक किन्तु १,००,००० से कम हैं	१,००० रुपये
(ग) उस स्थान में जहां जनसंख्या १,००,००० और उससे अधिक किन्तु ३,००,००० से कम हैं	२,००० रुपये
(घ) उस स्थान में जहां जनसंख्या ३,००,००० और उससे अधिक हैं.	२,५०० रुपये

- (१५) (क) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है कुछ नहीं
 (ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक किन्तु १,००,००० से कम हैं १,००० रुपये
 (ग) उस स्थान में जहां जनसंख्या १,००,००० और उससे अधिक किन्तु ३,००,००० से कम है २,००० रुपये
 (घ) उस स्थान में जहां जनसंख्या ३,००,००० और उससे अधिक है २,५०० रुपये
५. (क) जहां दस से अधिक कर्मचारी नहीं है कुछ नहीं
 (ख) जहां दस से अधिक किन्तु पन्द्रह से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं १,००० रुपये
 (ग) जहां पन्द्रह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं २,००० रुपये
 (घ) जहां बीस से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं २,५०० रुपये
६. * * *
७. (क) जहां पन्द्रह से अनधिक कर्मकार काम करते हैं १,००० रुपये
 (ख) जहां पन्द्रह से अधिक कर्मकार काम करते हैं २,५०० रुपये
८. * * *
९. (क) * * *
- (ख) (एक) चार पहिये वाले एक टैक्सी हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में कुछ नहीं
 (दो) चार पहिये वाले दो टैक्सी हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में १,००० रुपये
 (तीन) चार पहिये वाले तीन टैक्सी हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में २,००० रुपये
 (चार) चार पहिये वाले चार और उससे अधिक हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में २,५०० रुपये
 (ग) (एक) एक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में कुछ नहीं
 (दो) दो भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में २,००० रुपये
 (तीन) दो से अधिक यात्री यान या माल यान के संबंध में २,५०० रुपये
- ९-क सेवा प्रदाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियां—
- (क) ३,००,००० रुपये से अधिक नहीं हैं कुछ नहीं
 (ख) ३,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५,००,००० रुपये से अधिक नहीं हैं १,००० रुपये
 (ग) ५,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००,००० रुपये से अधिक नहीं हैं २,००० रुपये
 (घ) ८,००,००० रुपये से अधिक है २,५०० रुपये

भगवानदेव ईसरानी
 प्रमुख सचिव,
 मध्यप्रदेश विधान सभा.